

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क :- राजस्व/ 1824


दिनांक :- 27.11.2022

### आदेश

प्रार्थी शीशपाल पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया के खाता "दुरुस्ती ना" पत्र पर तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 के अनुसरण में प्रविष्टि को चक 1डीएनजी, 4 बीजीपी व चक 6 बीजीपी की वर्तमान प्रविष्टि को यदि किसी समक्ष न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो निम्नलिखित से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1डीएनजी	चक 1 डीएनजी खाता सं. 49/7 जमाबंदी संवत 2072-2075	सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार	शैलेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार
4बीजीपी	चक 4 बीजीपी खाता सं. 113/4 जमाबंदी संवत 2070-2073	सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार	शैलेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार
6बीजीपी	चक 6 बीजीपी खाता सं. 92/6 जमाबंदी संवत 2073-2076	सुलेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार	शैलेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार

ट :- शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।


  
 (जय कौशिक)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 संगरिया

क्रमांक :- सम/1827

दिनांक :- 27.11.2022

तिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी ..... तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 संगरिया